भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1967
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन

1967. श्री सुनील बोस:
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:
श्री जी. कुमार नायक:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पतंजलि फूड्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने से पहले निवेश हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं और यदि हां, तो कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) उक्त निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले की गई समुचित अध्यवसाय प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त निवेश का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा; और
(घ) क्या सरकार को पतंजलि फूड्स लिमिटेड द्वारा विगत में किए गए विनियामक उल्लंघनों की जानकारी है और यदि हां, तो विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई थी। पतंजलि फूड्स लिमिटेड से प्राप्त निवेश आशय के आधार पर, वर्ल्ड फूड इंडिया वर्ष 2025 के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसके माध्यम से कंपनी ने निवेश करने की इच्छा अभिव्यक्त की। एमओयू के अंतर्गत, मंत्रालय की भूमिका प्रस्तावित निवेश के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सुविधा सहायता प्रदान करना है।

(ग): पतंजलि फूड्स लिमिटेड का उद्देश्य अपनी आंतरिक व्यावसायिक योजनाओं, तकनीकी विनिर्देशों और परिचालन समय सीमा के अनुसार उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा में ग्रीनफील्ड के साथ-साथ ब्राउनफील्ड परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में 1000 करोड़ रुपये (लगभग) का निवेश करने का है।

(घ): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए आज्ञापित है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, वर्ष 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, जाँच, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना लेता है। अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में और जहां खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, लागू प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

तदनुसार, मैसर्स पतंजलि फूड्स लिमिटेड को अधिनियम की धारा 32 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अंतर्गत नोटिस जारी किए गए हैं।

****